दुरभाष:01437–220177
फैक्स– +91–1437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE
अविकानगर (तहसील–मालपुरा जिला टोंक) वाया : जयपुर राजस्थान (भारत) 304501
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501

Registered

क्रमांक : 6(310)एसपी/2014/वोल–प्रथम/660

दिनांक 21.06.2019

मैसर्स प्रकाश चन्द सैन,
प्लॉट नं. 82, बसन्त विहार विस्तार,
आगरा रोड जयपुर

विषय: संस्थान के सीवेरेज लाईन से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबंध/जॉब कोन्ट्रक्ट के आधार पर करने बाबत ।

महोदय,

संस्थान के सीवेरेज लाईन से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबंध/जॉब कोन्ट्रक्ट के आधार पर करने हेतु नीचे दिये गये दरें, नियम एवं शर्तो पर कार्य आदेश जारी किया जाता है :–

सारणी–1

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर प्रति माह (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, डब्ल्यू सी व गलीट्रेपके ब्लॉकेज निकालना व मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना व सीवर लाईन से संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करने का कार्य	एक वर्ष	Rs.18700/- रूपये– अठ्ठारह हजार सात सौ रूपये मात्र।

सारणी–2

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर एक मुश्त (अंको व शब्दों में)
2.	आवासीय एवं गैर आवासीय भवनो, सेक्टरों के सभी छोटे–बडे सेप्टिक टेंको (12 नग), मेन हॉलो (160 नग), सीवर लाईन चेम्बर (160 नग), व गलीट्रेपो (160 नग लगभग) एवं सभी साईजो की सीवर लाईनों की मानवों/मशीनों द्वारा मलवा/मिट्टी आदि निकाल कर साफ सफाई करना व मलवे को निर्दिष्ट स्थान पर डालने व मिट्टी में दबाने का कार्य	जहॉ जैसा है वैसा के (Lump sum)आधार पर	Rs.160000/- रूपये–एक लाख साठ हजार मात्र।

नोटः– कार्य आदेश जारी होने पर सारणी संख्या –2 के कार्य को पूर्ण करना होगा। सारणी संख्या –2 के कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण हाने के उपरान्त ही सारणी संख्या –1 का कार्य प्रारम्भ करना होगा। सारणी–1 के कार्य के बिल का भुगतान सारणी–2 के कार्य समाप्ति पश्चात् ही शुरू होगा।

नियम एवं शर्तें –

1. संस्थान में आवासीय व गैर आवासीय भवनों तथा विभिन्न प्रक्षेत्रों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत कार्य करना एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, डब्ल्यू सी आदि गली ट्रेप आदि की ब्लॉकेज की सफाई करना एवं मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना व इससे संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करना होगा।

21/6/19

..... 2/–

2. आवासीय एवं गैर आवासीय सभी भवनों के सेप्टिक टेंको, मेन हॉलो में जमा मलबा खाली करना एवं उसे जमीन में दबाना होगा । इस कार्य में मलबा खाली करने हेतु इंजन, ईंधन एवं उसमें लगने वाले श्रमिक सभी ठेकेदार के स्वयं के होंगे। संस्थान द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

3. वर्तमान में संस्थान परिसर में 226 आवासीय भवन, सैक्टर नं0 9, 12, 13, 14, 15 एवं 18 सहित अन्य सभी सैक्टर, प्रशासनिक भवन, एन.पी.बी.भवन, पुस्कालय भवन, पशु स्वास्थ्य विभाग, मीट प्रयोगशाला एव अन्य सभी प्रयोगशालाएँ, कच्चा बन्दा एवं अन्य सभी गैर आवासीय भवनों से संबंधित कार्य आदि। कार्य के दौरान अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से संस्थान संपति का नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा नुकसान का सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन पश्चात् जो भी कीमत होगी 15 दिवस में जमा करवाना होगा अन्यथा उनके देय बिल से उस राशि की कटौति कर ली जावेगी।

कटौतियां:

4. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

5. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। इस सम्बंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

6. कार्य निर्देशानसुार समय पर पूर्ण नही होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा ,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तेः–

7. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।

8. सीवरेज सें संबंधित कार्य हेतु प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार सीवरेज संबंधित सम्पूर्ण कार्यो के अनुभवी कर्मी उपलब्ध कराने होंगे । कर्मियों की संख्या कार्यो के दैनिक निस्पादन प्रभारी, सम्पदा द्वारा बताए गए निर्धारित समय पर पूर्ण करने की दृष्टि से है । इसके अलावा कार्य की अधिकता के समय मांग के अनुरूप अतिरिक्त कर्मी उपलब्ध करवाया जाना होगा । अतिरिक्त कर्मियों की मांग एक दिन पहले सूचित कर दिया जावेगा ।

9. शिकायत पंजिका में दर्ज शिकायतो का निराकरण प्रतिदिन करना होगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित शिकायत को तुरन्त ही निराकरण करना होगा । जैसे – गटर चौक होना, नाली चौक होना,एंव अन्य समस्त सीवर लाईन सम्बन्धित कार्य। शिकायत निराकरण समय पर न होने की स्थिति में महिने के भुगतान की प्रतिदिन के औसत राशि की दुगुनी राशि की दर से कटौती की जावेगी। संस्थान पक्ष से किसी कारणवश शिकायत निवारण की देरी की स्थिति में यह कटौती नहीं की जावेगी।

10. शिकायत निवारण में ठेकेदार द्वारा कार्मिकों का प्रबन्ध समय पर नही कराने की स्थिति में उक्त कार्य के निस्पादन में लगाये गये कार्मिकों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। यदि उक्त कार्य संस्थान के कर्मचारी/मजदूर द्वारा करवाया जाता है तो उसके उस दिन के वेतन के बराबर की राशि ठेकेदार के बिल से कटौती की जावेगी। इसको अवज्ञा के रूप में मानकर सक्षम अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है जिसमें पेनल्टी एवं अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है।

11. संबंधित अनुबन्ध की शिकायतों की जानकारी संस्थान के सम्पदा अनुभाग की शिकायत पंजिका से रोजाना प्राप्त करना होगा। साथ ही शिकायत निराकरण की रिपोर्ट डायरी में मय शिकायतकर्ता से हस्ताक्षरित प्रभारी सम्पदा/प्रतिनिधि को देनी होगी।

12. कार्य अनुबंध से संबंधित कार्य शिकायतों में लगने वाला सामान सम्पदा अनुभाग से उपलब्ध करवाया जावेगा, जो कि सम्पदा अनुभाग के स्टोर से लेना होगा। साथ ही हटाया जाने वाला पुराना सामान वापस जमा करवाना होगा। शिकायत निराकरण में काम में आने वाले सभी औजार स्वंय ठेकेदार के होंगे। संस्थान द्वारा कोई औजार उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

13. अनुबन्धकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि को नियमित रूप से रोजाना निदेशक महोदय द्वारा नामित अधिकारी या प्रभारी सम्पदा/प्रतिनिधि से सम्पर्क करना होगा। उनके दिशा–निर्देश अनुसार कार्य करना होगा। अनुबन्ध के अलावा आवश्यकता अनुसार समानान्तर कार्यो में सहायता संबंधित कार्य भी प्रभारी, सम्पदा की देख–रेख में करना होगा। शर्तो के पालन में शिथिलता की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

14. ठेकेदार/कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार की संस्थान सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी। अन्यथा ठेकेदार के बिल से नुकासान राशि की कटौति की जावेगी। अनुबन्ध की अवधि में कार्मिक को हटाने/बदलने की स्थिति में इसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रभारी सम्पदा को देनी होगी ।

21/6/19

.....3/–

15. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।

16. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय प्रत्येक सप्ताह में एक बार प्रभारी, सम्पदा अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।

17. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।

18. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा। इसका रजिस्टर कभी भी संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा भारत सरकार की नियमों की पालना के दृष्टिकोण से जॉचा जा सकता है। प्रत्येक बिल के साथ पिछले भुगतान की ESI/EPF जमा कराने के चालान की प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

19. प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली के अनुसार 25% मात्रा की भिन्नता का नियम लागू होगा।

20. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।

21. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत/राज्य सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। समय पर भुगतान न करने संबंधित किसी प्रकार के वाद/क्लेम की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वित्तीय भुगतान/श्रतिपुर्ति का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। श्रमिकों के भुगतान के संबंध में पूरा रिकार्ड/अभिलेख स्वंय ठेकेदार को रखना होगा। श्रमिकों/पारिश्रमिकों का भुगतान भारत/राज्य सरकार की निर्धारित दर के अनुरूप ही करना होगा ।

22. समय–समय पर भारत/राज्य सरकार के लागू नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

23. अनुबंध कार्य का भुगतान मासिक बिल बेसिस/कार्य पूर्णता आधार पर किया जायेगा। कार्य का बिल तीन प्रतियों में सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा, जिससे लगाये गये श्रमिकों एवं शिकायतों को प्रमाणित किया जा सके।

24. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रभारी, सम्पदा अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

25. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्य करवा लें।

26. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 03 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा। अथवा किसी प्रकार के नुकसान या व्यवधान की स्थिति में अनुबन्ध समय अवधि से पहले भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

27. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।

28. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

29. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

30. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Mannual for Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।

21/6/19

.....4/–

31. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

(संजय शर्मा) 21/6/19
सहायक *प्रशासनिक अधिकारी (कय)*

वितरण–

1. प्रभारी, सम्पदा अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करले कि ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधियों का भुगतान प्रतिमाह भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित दरों पर उनकी उपस्थिति में कर दिया गया है जिसे सत्यापित करते हुए किये गये भुगतान की प्रति श्रीमान सक्षम अधिकारी को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण (Maintain) को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें तथा ठैकेदार द्वारा लगाये गये प्रतिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा तुरन्त क्रय अनुभाग को सूचित करें। सक्षम अधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये है कि अनुबन्ध के दौरान किये जाने वाले कार्यो की मोनिटरिंग अच्छी प्रकार से की जावें।
2. आहरण व संवितरण अधिकारी
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. सर्तकता अधिकारी
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू.
7. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।

सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त प्रयोजनार्थ एक वर्ष तक होने वाले व्यय रूपये 384400/– (160000/–एक मुश्त–सीवर लाईन चेम्बर सफाई + 224400/– 12 माह का दैनिक शिकायतों के निराकरण अनुबन्ध) वित्तीय स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 6(310)एसपी/2014/वो.I पेज नं. 08 पर दिनांक 20.06.2019 को प्रदान की हैं। यह व्यय वित्त वर्ष 2019–20 में संस्थान में सम्पदा अनुभाग को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित बजट से वहन किया जावेगा। फर्म द्वारा जमानत राशि रू.38500/– का केनरा बैंक से एफडीआर संख्या–एसएनएसडी 184548 दिनांक 14.06.2019 संस्थान में जमा करवा दिया है।

(संजय शर्मा) 21/6/19
सहायक *प्रशासनिक अधिकारी (कय)*